Pg-1

COURSE-02

Unit-02- Topic:-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (NEP-1986) और उससे सम्बन्धित उल्लेखनीय विभिन्न तथ्य —

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986, भारतीय शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक अति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है जो भारत को 21वीं शताब्दी में विकसित समाज में बदलने के संकल्पित दस्तावेज है। अतः इस प्रतिवेदन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का विवरण क्रमशः निम्नांकित है:-

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 का दस्तावेज -

(2) नई शिक्षा नीति-1986 द्वारा उठाये गए कुछ महत्वपूर्ण कदम

(3) नई शिक्षा नीति की विशेषताएँ

(4) नई शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन तथा

(5) नई शिक्षा नीति की समीक्षा-1992 .

उपरोक्त विभिन्न पहलुओं के विवरण से पूर्व इस नई शिक्षा नीति के आविर्भाव के कारणों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया होने के कारण, निरंतर निरन्तर विकसित व विस्तीकृत होती रही है तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने व कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। इसे पर अमल भी शुरू हो गया था तथा कई प्रान्तों ने अपने-2 ढंग से '10+2+3' की शिक्षा संरचना लागू कर दी थी। कई प्रान्तों में कृषि, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिए विशेष प्रावधान किए

Pr. 20/01/20

परीक्षा प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया व जाने लगे थे। आधुनिकीकरण के नाम पर विज्ञान व गणित की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी साथ ही ~~समानता के लिए~~ शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कदम उठाए जाने लगे थे। परन्तु 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार के बनने पर 10+2+3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8+4+3 शिक्षा संरचना का विचार आया। और शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री प्रतापचन्द्र ने एक नई शिक्षा नीति-1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया, कि 1980 में पुनः कांग्रेस सत्ता में आई और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन पर जोर दिया। इसी के परिणामस्वरूप 'शिक्षा की चुनौती- नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य' नाम से 1983- प्रतिवेदन प्रकाशित कराया गया जिसमे भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए सम्यक विवेचन किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न सुझाव आए तथा इस आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई और उसे संसद के बजट अधिवेशन-1986 में प्रस्तुत किया गया और मई-1986 मे पास कराया गया। इस शिक्षा नीति की घोषणा के कुछ माह बाद उसकी "कार्य योजना" नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया —

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज — (Formate of National Education Policy-1986) —

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल-12 भागों विभक्त है जो निम्नांकित है:—

(1) शिक्षा का सार व भूमिका (The Essence and Role of Education)
(2) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (National Education System)
(3) समानता के लिए शिक्षा (Education For Equality)
(4) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन (Reorganization of Education at different Levels)

P.T.O.

(5) उच्च शिक्षा (Higher Education)
(6) तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा (Technical & Management Education)
(7) शिक्षा व्यवस्था को [illegible] कारगर बनाना (Making The Education System Effective)
(8) शैक्षिक विषय-वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना (To give New prospective to Educational content and Process)
(9) शिक्षक व शिक्षक शिक्षा (Teacher and Teacher-Education)
(10) शिक्षा का प्रबन्धन (Management of Education)
(11) संसाधन तथा समीक्षा (Resource and Evaluation)
(12). उपरोक्त नयी शिक्षा नीति-1986 के दस्तावेज का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है—

(1) शिक्षा का सार व भूमिका (The Essence & Role of Education) - इस भाग में 1.1 से 1.5 तक धारायें है। इन धाराओं में शिक्षा पर सामान्य कथन करते हुए बताया गया है कि इस नवीन शिक्षा नीति में 1968 प्रथम राष्ट्रीय नीति का अनुसरण किया गया है। इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्र में 90 प्रतिशत लोगों को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, शिक्षा की 10+2+3 की समान संरचना, उच्च शिक्षा में की गई प्रगति, लोकतंत्र के मार्ग की बाधायें, बेरोजगारी व जनसंख्या की चुनौतियाँ तथा अगले दशक के नये तनावों इत्यादि का वर्णन [illegible] किया गया।

(2) ~~समानता के लिए शिक्षा~~ राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (National Education System) — शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का आशय है — किसी निश्चित स्तर तक जाति, पंथ, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों की एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच हो। अतः इस भाग में शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य मानते हुए इसे एक ऐसा आर्थिक निवेश कह

लड़कियों के वर्तमान तथा भविष्य दोनों
प्रथा को समाज और यह राष्ट्रीय शिक्षा का एक समान शैक्षिक
का निर्माण करता है। संरचना पर विचार करती है।

(3) समानता के लिए शिक्षा (Education for Equality) — नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पायी जानेवाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। स्त्रियों की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए स्त्रियों में निरक्षरता को समाप्त करने व प्रारम्भिक शिक्षा तक उनकी पहुँच व शिक्षा प्राप्ति में बाधाओं को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(4) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन :— (Reorganisation at different levels.)

(i) पूर्व बाल्य काल देखभाल व शिक्षण (Early Childhood Care and Education) — शिक्षा की इस राष्ट्रीय नीति में शिशु के विकास की सर्वतोमुखी प्रकृति को मान्यता दी गई है, अर्थात् आहार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भावात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित करते हुए विद्यालयों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाया जाएगा साथ ही प्राथमिक शिक्षा को भी बालकेन्द्रित बनाते हुए 14 वर्ष के सभी बालकों को विद्यालय भेजने का प्रबन्ध किया जाएगा। इस काल में औपचारिक विधियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा लिखने-पढ़ने तथा गणित के बारे में शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम में उपयुक्त रूप से समन्वित किया जायेगा।

4. (ii) प्राथमिक शिक्षा (Primary/Elementary education) - इस शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वजनिक नामांकन व नियमित शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त सुधार हेतु बल दिया जायेगा। इस स्तर पर बाल-केन्द्रित व क्रिया आधारित अधिगम प्रक्रिया अपनायी जाएगी। इस स्तर पर गति निर्धारित स्कूलों की व्यवस्था

करने की बात कही गई है। जहाँ प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को अपनी गति से बढ़ने का अवसर दिया जायेगा तथा उन्हें प्रक उपचारात्मक अनुदेशन दिया जायेगा।

प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों में आपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया जायेगा। निरोपचारिक शिक्षा केन्द्रों (NFEC) के अधिगम वातावरण को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी प्रयुक्त की जायेगी व स्थानीय समुदाय के प्रतिभाशाली व समर्पित युवकों व युवतियों को अनुदेशक नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सन् 1990 तक 11 वर्ष के सभी बच्चे कम-से-कम पाँच वर्ष की विद्यालयी शिक्षा या अनौपचारिक (निरौपचारिक) शिक्षा प्राप्त कर चुके हों।

(4.) (iii) माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) — नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा अपनी विशिष्ट भूमिका में दिखेगी। माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरु करती है। इस नीति के सुझावों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों को तीव्र प्रगति करने देने के लिए अच्छी गुणवत्तावाली शिक्षा व उपयुक्त अवसर सुलभ कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में एक निश्चित प्रकार के 'पेस सेटिंग स्कूल' या गति निर्धारक विद्यालय खोले जायेंगे।

अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालय की स्थापना की जायेगी ताकि तीव्र गति से विकास करनेवाले या विशेष प्रतिभावाले बच्चों को अवसर प्रदान किया जा सके।

इस स्तर पर क्रमबद्ध सुनियोजित तथा लचीले 'व्यावसायिक-कार्यक्रम' शुरु किये जायेंगे। विशेष संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा तथा माध्यमिक शिक्षा से अपवंचित वर्गों तथा क्षेत्र के लिए व्यापक स्तर पर नये विद्यालय खोले जायेंगे।

(5) उच्च शिक्षा -(Higher Education) — इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षण संस्थानों को साधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिए पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को इस नीति में प्रश्रय दिया जायेगा। विशिष्ट तकनीकी सेवाओं जैसे — टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, विधि, तथा ऐसी अन्य सेवाओं में जहाँ आकादमिक योग्यता आवश्यक है, को छोड़कर अन्य सामान्य सेवाओं के लिये डिग्री की अनिवार्यता समाप्त की जायेगी। महात्मा गाँधी के क्रान्तिकारी विचारों के अनुरूप ग्रामीण विश्वविद्यालयों को विकसित किया जायेगा।

(6) तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा (Technical & Management Education) — नई शिक्षा नीति में तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को अधिकृत सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी संस्थाओं में अन्तः सम्बन्ध बढ़ाने और इस क्षेत्र में सतत शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अग्र कार्य किये जायेंगे —

(i) बालकों के लिये पाठ्यवस्तु इस प्रकार का होगा जो इन्हें सुन्दरता, समायोजन तथा परिष्कार आदि के प्रति संवेदनशील बनायेगा।

(ii) शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के जीवन से धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास, हिंसा, असहिष्णुता तथा भाग्यवाद आदि कुरीतियों को दूर कर उनमें हो रहे मूल्यों के ह्रास को रोकने के लिये उन्हें जीवन के शाश्वत मूल्यों से

— P.T.O.

अन्तर्गत करायेगा कराया जायेगा।

6 (iii) तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा की आपूर्ति अलग-अलग होने पर भी इसके पारस्परिक सम्बन्धों को देखते हुए सदी के अन्त तक प्रस्तावित कल्पना के अनुसार उनका पुनर्गठन करना आवश्यक होगा।

(iv) मानव शक्ति सम्बन्धी सूचनाओं को विकसित करने हाल ही में स्थापित टेक्नीकल मैन पावर इन्फोर्मेशन सिस्टम (Technical man power Information system) को और अधिक सक्षम बनाया जाय।

(v) स्थापित व विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए सतत शिक्षा का विकास किया जाय।

(vi) सामुदायिक पालि पॉलिटेक्नि पॉलिटेक्निकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लोगों को उत्पादक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(vii) शिक्षा में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अन्तर्गत छात्रों को आवश्यक सूचनाओं का ज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि, कला व संस्कृति के प्रति जागरूकता तथा स्थायी मूल्यों के संस्कार आदि का ज्ञान कराया जायेगा।

(viii) कार्य अनुभव को उद्देश्यपूर्ण व सार्थक शारीरिक कार्य मानते हुए इसका प्रयोग छात्रों के लिये माध्यमिक स्तर पर दिये जाने वाले पूर्व व्यवसायिक कार्यक्रम तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जायेगा।

(ix) तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध उद्योग, अनुसंधान और विकास संगठनों से, ग्रामीण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से तथा पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा क्षेत्रों से स्थापित किया जायेगा।

(7) शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना (Making The Education System Effective) — नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 में तत्कालीन शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की जटिलता के साथ-साथ आधुनिकीकरण एवं सृजनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र...

व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की बात कही गई है।

(8) शैक्षिक विषय-वस्तु और प्रक्रिया को नया रूप देना – (To Give New Perspective to Educational Content and Process); — नई शिक्षा नीति में शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया को अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विषयवस्तु से समन्वित किया जायेगा। बच्चों की सौन्दर्य, संगीत व परिष्कार के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी तथा शिक्षा द्वारा सार्वभौमिक मूल्यों का विकास किया जाएगा।

कार्यानुभव की शिक्षा को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जायेगा। इसे देते हुए एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम भी बनाया जायेगा। इससे प्राप्त अनुभव भविष्य में रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षण अधिगम की किसी भी प्रक्रिया के आन्तरिक अंग के रूप में निष्पत्ति को मूल्यांकन का अनिवार्य अंग मानते हुए परीक्षा प्रणाली की पुनर्व्यवस्था की जायेगी जिसमें मूल्यांकन विधि की विश्वसनीयता व वैधता सुनिश्चित की जायेगी।

(9) शिक्षक व शिक्षा (शिक्षक व शिक्षक शिक्षा) (Teacher & Teacher Education) — शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है अतः नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा की प्रणाली में आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (D.I.ET.) स्थापित किये जायेंगे, जो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों व निरौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिये सेवापूर्व व सेवारत / सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित करेंगे, NCERT के शिक्षक प्रशिक्षण को सक्षम बनाने पाठ्यक्रम तथा विधियों का निर्माण हेतु मार्गदर्शन के लिए वांछित संसाधन प्रदान किए जाएंगे। ये संस्थायें विश्वविद्यालय के

Contin— P.T.O.

Page-⑨

आपस में मिलकर काम करेंगे। कुछ चयनित शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भी उच्चीकृत बनाके उन्हें SCERT के कार्य के पूरक के रूप में कार्य दिया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को (NCERT) अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने का अधिकार दिया जायेगा तथा इसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जायेंगे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा संस्थानों व विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों की सुसम्बद्ध संगठित संरचना विकसित की जाएगी।

(10) शिक्षा का प्रबंधन (Management of Education) — शिक्षा के प्रबंधन हेतु शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कुछ सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा —

(i) शैक्षिक नियोजन व प्रबंधन का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य (Long term perspective) तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और मानवशक्ति सम्बन्धित आवश्यकताओं से जोड़ना।

(ii) विकेन्द्रीकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना।

(iii) शिक्षा में लोक भागीदारी, गैर-सरकारी संस्थानों का प्रयोग तथा स्वैच्छिक प्रयासों को महत्त्व देना।

(iv) शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध में स्त्रियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना।

(v) गैरसरकारी अभिकरणों की परिषदों व स्वैच्छिक प्रयासों की सहभागिता पर बल देना।

(vi) प्रदत्त उद्देश्यों तथा मानदण्डों के सम्बन्ध में जवाबदेही सिद्धान्त की स्थापना करना, जैसे निर्देशक विन्दुओं पर ध्यान देना।

(10.)02- राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन व प्रबन्धन की दिशा में CABE- शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करेगा तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु वांछित परिवर्तन किए जाएंगे।

Bed 2019

Pg-(10)

शैक्षिक नियोजन प्रबंध हेतु

(10) 03 – राज्य स्तर पर 'स्टेट एडवाइजरी बोर्ड' की स्थापना की जायेगी
राज्य सरकार ~~गो एजेन्सियों~~ के विभिन्न विभागों का मानव संसाधन विकास के
लिये वांछित परिवर्तन किए जायेंगे।
-04- जिला व स्थानीय स्तर पर भी उच्च माध्यमिक
स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिये प्रभावशाली
सहयोग करेगी।

(11) संसाधन तथा समीक्षा (Resources and Evaluation) —
(i) व्यावसायिक रूप से सभी शिक्षाविदों ने स्वीकार किया
है कि शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय आर्थिक निवेश
होता है तथा उसके द्वारा तथा इसके द्वारा ही भारत
के समतावादी उद्देश्यों विकास केन्द्रित लक्ष्यों को
प्राप्त किया जा सकता है।
(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा से सम्बन्धित
संस्थाओं का प्रसार और उन्हें तीव्र गति से आधुनिक
स्वरूप देना भी आवश्यक है।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 द्वारा उठाये गये उल्लेखनीय
कदम (Steps taken by New Education Policy-1986) —
नई शिक्षा नीति-1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों
के रूप में किया गया था। फलतः भारत की शिक्षा
व्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण
संभवतः उसके द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक
कदम हैं जो निम्नांकित हैं —
(1) 10+2+3 शिक्षा संरचना, (2) नवोदय विद्यालय,
(3) विद्यालय संकुल, (4) सर्वशिक्षा अभियान, (5)
शैक्षिक अवसरों की समानता, (6) ऑपरेशन ब्लैक-
बोर्ड (Operation Black Board), (7) दूरस्थ शिक्षा एवं
मुक्त/खुला विश्वविद्यालय (8) उपाधि को सेवा से
अलग करना, (9) शिक्षक प्रशिक्षण तथा (10)
शिक्षक की जवाबदेही (Accountability of Teacher).

11th टॉपिक

नई शिक्षा नीति की विशेषताएँ —
(3) — (Characteristics of New Education Policy 1986) —
(1) स्वतन्त्रता के बाद प्रथम बार शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जिसमें शैक्षिक नीतियों को ~~देश की अनुकूल~~ के क्रियान्वयन पर बल दिया गया तथा शिक्षा को मजबूत बनाकर उसे देश की अनुरूप परिस्थितियों में ढालने का प्रयास किया गया।
(2) इसके द्वारा निश्चित शैक्षिक स्तर तक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रारूप दिया जाता है, इससे देश के पाठ्यक्रम में एकरूपता आयेगी।
(3) नई शिक्षा में विषमताओं को दूर करके शैक्षिक समानता लाने का संकल्प किया गया है। महिलाओं अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक विकलांगों तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों को एक समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने का दृढ़ संकल्प लिया गया।
(4) नई शिक्षा नीति में 10+2+3 की राष्ट्रव्यापी शिक्षा संरचना की सिफारिश की गई है, जिसे देश के प्रत्येक भाग में स्वीकार कर लिया गया है।
(5) सन् 1976 में संविधान संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे राज्यों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है, वरन् शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर उत्कृष्टता लाने के लिए केन्द्र सरकार और अधिक कार्य करेगी।
(6) नई शिक्षा नीति में शैक्षिक प्रबंधन को ~~क्रिया-~~ ~~न्वित~~ क्रियान्वित करने पर बल दिया गया है। व्यक्तियों के कार्यों संस्थाओं और शैक्षिक कार्य में लगे व्यक्तियों और उन्हें पुरस्कृत को उत्कृष्टता में मान्यता दी जायेगी और तय किये गये। करने के साथ उनकी जवाबदेही
(7) बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारी को रोकने तथा कम विश्वविद्यालयों में प्रवेश की समस्या

महत्व को करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा के स्वीकार किया गया।

(8) नई शिक्षा में उच्च शिक्षा की गिरावट को बचाने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जायेंगे। विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश उनकी ग्रहण क्षमता के आधार पर होगा, शिक्षण विधियों को प्रभावी बनाया जायेगा। शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन होगा तथा उच्च कोटि के शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(9) क्रियान्वयन की प्रणाली और समयबद्ध पर उभरती हुई प्रवृत्तियों की जाँच हेतु मध्यावधि मूल्यांकन की जायेगी, तथा विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन की समीक्षा प्रत्येक पाँच वर्ष में की जायेगी।

(10) इसमें शिक्षा द्वारा पर्यावरण रक्षा और संतुलन बनाये रखने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे।

(4) नई शिक्षा नीति-1986 का मूल्यांकन —

(New Education Policy-1986-Evaluation) —

यद्यपि नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा के लिये स्वच्छ हवा की श्वास के समान है किन्तु समालोचकों विद्वानों तथा शिक्षाविदों ने इसकी आलोचना भी की है जो निम्न है—

(1) नई शिक्षा नीति-1986 में 1995 ई० तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने की बात कही गई है, किन्तु ऊपर अन्य कार्यक्रमों पर अधिक बल के कारण लोगों को यह पूरा होना मुश्किल मुश्किल लगता है।

(2) नई शिक्षा नीति के केन्द्र व राज्यों के मध्य सार्थक साझेदारी की बात कही गई है, परन्तु केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर ही बल दिया गया है। शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप को प्रबल करने, गुणवत्ता व मानकों को बनाये रखने, पूरे देश की शैक्षिक जरूरतों को निर्धारित करने तथा शैक्षिक स्तर पर श्रेष्ठता को बढ़ावा देने में केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ गया है।

Cont — P.T.O.

(3) — नई शिक्षा नीति में तीसरी आपत्ति भाषा से है। इस नीति में भाषा शिक्षा भी विवादास्पद रही है।

(4) उच्च शिक्षा के संसाधन के जुटाने के बारे में नई शिक्षा नीति मौन है, इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये अत्यधिक आर्थिक संसाधन जुटाने होंगे जिसके अभाव में यह नीति सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पायेगी।

अतः यह कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति विभिन्न आयोगों, विद्वानों, समितियों के विचारों का संग्रह मात्र है। इसमें सिद्धांतों को क्रियान्वयनात्मक स्वरूप दिखाई नहीं देता है। इसी आधार पर भारत की शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। समीक्षकों के अनुसार इस शिक्षा नीति के कुछ प्रावधान स्वागत योग्य हैं, किन्तु यह आवश्यक है कि इनके वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए इस नीति को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाय। समीक्षकों के अनुसार नई शिक्षा नीति में नयापन लाने की अपेक्षा यह बेहतर कि पुरानी नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आई कठिनाइयों और असफलताओं का निवारण कर उसे बेहतर बनाया जाये। अतः इन्हीं भावनाओं एवं नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता को ध्यान में रख कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक कार्यान्वयन कार्यक्रम (प्रोग्राम ऑफ एक्शन) तैयार किया जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986, 1992 के रूप में है—

(5) संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा-नीति-1986, 1992:— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वित और उसके परिणामों की समीक्षा की जायेगी। इसी आलोक में सन् 1990 ई० में राममूर्ति समीक्षा समिति

समिति के प्रतिवेदन

समिति-1990 का गठन कर दिया । समिति के प्रतिवेदन पर विचार प्रारम्भ होने से पूर्व ही केन्द्रीय शासन में बदलाव के कारण तत्कालीन सरकार द्वारा जनार्दन रेड्डी समिति 1992 का गठन कर दिया गया और नीति के क्रियान्वयन एवं परिणामों की समीक्षा अतः दोनो समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-'1986' के नाम से प्रकाशित किया। कुछ विद्वान इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1992 भी कहते है। सरकार ने 1992 में ही इसकी कार्ययोजना में भी परिवर्तित कर दिए । यही परिवर्तित कार्य योजना-1992 कहलाती है।

— कार्ययोजना -1992 का दस्तावेज —

कार्य योजना-1986 पूरे 24 भागों विभाजित था, जिसे संशोधित कर 1992 कार्य योजना में 23 भागों मे निम्नांकित शीर्षकों मे दर्शाया गया है —

(1) नारी समानता के लिए शिक्षा (Education for women Equality)
(2) अनुसूचित जाति/जन जाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा (Education of Scheduled casts, scheduld Tribes, and Backward Classes)
(3) अल्पसंख्यकों की शिक्षा (Education Minorities)
(4) विकलांगों की शिक्षा (Education for Handicapped)
(5) प्रौढ एवं सतत शिक्षा (Adult and Continuing Education)
(6) पूर्व बाल्य परिचर्या एवं शिक्षा (E.C.C.E.)
(7) प्रारम्भिक शिक्षा (Elementary Education)
(8) माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education)
(9) नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya)
(10) व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)
(11) उच्च शिक्षा (Higher Education)
(12) मुक्त/खुला शिक्षा (Open Education)
(13) उपाधि को रोजगार से विलगता (Delinking Degrees with Jobs)

(14) ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान (Rural Universities & Institutions)

(15) तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा (Technical and Management Education)

(16) अनुसंधान एवं विकास (Research & Development)

(17) सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य (Cultural Perspective)

(18) भाषाओं का विकास (Development of Languages)

(19) सम्प्रेषण एवं शैक्षिक तकनीकी (Media and Educational Technology)

(20) खेल, शारीरिक शिक्षा एवं युवा (Sports, Physical Education and Yong)

(21) मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार (Evaluation Process and Examination Reform)

(22) शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण (Teacher & Their Training)

(23) शिक्षा का प्रबन्ध (Management of Education)

कार्य योजना 1992 के अवलोकन से पता चलता है कि यह 1986 की कार्य योजना से पर्याप्त रूप से समानता रखता है। इस संशोधित कार्य योजना में नई शिक्षा नीति को अधिक परिमार्जित करने के प्रयास किये गये हैं। कुछ शीर्षकों का क्रम परिवर्तन करके तथा कुछ शीर्षकों की भाषा में कुछ बदलाव करके प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ एक समस्या थी कि यह केवल एक पुनरीक्षण समिति थी, जिसका कार्य नई शिक्षा नीति और राममूर्ति समिति के प्रतिवेदन को नये परिप्रेक्ष्य में समीक्षा मात्र करना था।

अतः इस समिति से भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिये किसी नवीन योजना अथवा किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन की आशा नहीं थी, इस समिति ने अपने दायित्व को भली प्रकार निभाते हुए ऐसी अनेक संस्तुतियाँ की जिन्होंने भारत की शिक्षा को लाभान्वित किया, किन्तु कुल मिलाकर श्रेष्ठ ... गये हैं।

अंत में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति (1992) का इतना लाभ तो अवश्य हुआ कि देश में आधुनिक सूचना तकनीकी में तीव्र गति से विकास हुआ, किन्तु इस विकास में मानवता, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, परदुःखकातरता, संवेदनशीलता, विद्वता, चिन्तन, कौशल, मौलिकता आदि सभी कहीं खो गये हैं। सत्य तो ये है कि इस शिक्षा नीति के लागू होने के बाद भारत की लगभग शत-प्रतिशत जनता शिक्षा के मूल उद्देश्यों को भूलकर केवल धन कमाने की अंधी प्रतियोगिता में आँखें बन्द कर भागती जा रही है।

आज की शिक्षा केवल अधिक से अधिक धन अर्जित करने का साधन बन कर रह गई है। इसके साथ ही अंग्रेजी इस कदर हावी हो गई है कि अब राष्ट्रभाषा को अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु जूझना पड़ रहा है जो बौद्धिक विकास दृष्टि से घातक है। अतः जितना जल्दी हो सके इस स्थिति में क्रान्तिकारी बदलाव ~~लाकर~~ लाया जाना अति-आवश्यक है।

21/04/2020